Volume-10 April - June, 2012

Rajasthan Police Academy
News Letter

इस अंक में ...

- नये विद्यालय भवन का उद्घाटन
- पुलिस मैस और स्वास्थ्य
- पुलिस प्रतिबद्धता
- रंगों से अभिव्यक्त : तम्बाकू मुक्ति का सन्देश
- विभागीय कार्यवाहियों की समीक्षा

निदेशक की कलम से ...

पुलिस का कार्य अन्य कार्यो की तरह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के विकास के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होना अति आवश्यक है। पुलिसकर्मी में उसके कार्य से सम्बन्धित कौशल वृद्धि उसे प्रशिक्षण देकर ही पूर्ण की जा सकती है। वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के कारण पुलिस की जिम्मेदारियाँ और अधिक बढ़ गई है। नवीतम चुनौतियों में से कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ही सीधी चुनौती देना शामिल है। आर्थिक विषमताओं के कारण देश के अनेक राज्यों में माओवाद अपने प्रभाव में लोगों को लेने लगा है। उनका तरीका प्रत्यक्ष रुप में संवैधानिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। राजनीति में भी क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक हिंसा के तरीके अपनाए जा रहे हैं। बात-बात पर उग्र होने वाली भीड़, संख्या या लाठी के बल पर बात मनवाने के तरीके तथा छोटी-छोटी घटनाओं पर भी रास्ता जाम और उग्र प्रदर्शन पुलिस के कार्य में नित नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी में उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने के लिए वर्षभर अनेक विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशालाएं एवं सेमीनार आदि आयोजित किए जाते हैं। पुलिस प्रशिक्षण के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है जिसमें छः बड़े कक्षाकक्षों का निर्माण व अन्य कार्य शामिल हैं।

न्यूज लेटर के माध्यम से अब फिल्ड में पदस्थापित अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर सामग्री भी उपलब्ध करवायी जाने लगी है। गत अंक में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आचरण नियमों पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी। न्यूज लेटर के माध्यम से ही पुलिसकर्मियों में धुम्रपान निषेध हेतु जागरुकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य सम्बन्धी लेखों के माध्यम से प्रत्येक पुलिसकर्मी को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक बनाने का प्रयास भी विभिन्न लेखों, चित्रों आदि के माध्यम से किया जाता रहा है। वस्तुतः शारीरिक और मानसिक रुप से स्वस्थ तथा पुलिस विधाओं में दक्ष पुलिसकर्मी ही देश के प्रजातंत्र का सजग प्रहरी सिद्ध हो सकता है।

भूपेन्द्र सिंह
निदेशक

नये विद्यालय भवन का उद्घाटन

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 19.04.2012 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के उद्घाटन के लिए श्री हरिशचन्द्र मीणा, महानिदेशक राजस्थान पुलिस सपत्नीक पधारे तथा विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित हुये, जिनमें श्री मनोज भट्ट, अतिरिक्त महानिदेशक प्रशिक्षण, श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक आयोजना एवं कल्याण, श्रीमती नीना सिंह, महानिरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण प्रमुख थे। इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए श्रीमती चरणजीत ढ़िल्लो तथा शिक्षा विभाग से श्री बी.एल. यादव, उपायुक्त सर्व शिक्षा अभियान, श्री सत्यनारायण गौतम अति0 जिला समन्वयक जयपुर, श्री जब्बर सिंह अति0 जिला शिक्षा अधिकारी एवं अति0 ब्लॉक प्रा0शि0 अधि0 जयपुर तथा तकनीकी शाखा एस.एस.ए. के अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता पूरी टीम के साथ उपस्थित हुए।

राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में संचालित राजकीय विद्यालय आवासीय क्वार्टर में सन् 1972 से संचालित हो रहा था। सन् 1983 में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया परन्तु स्थान आवासीय क्वार्टर ही रहा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु भवन का अत्यन्त अभाव महसूस किया जा रहा था। सभी कक्षा के विद्यार्थियों की पृथक कक्षाएं संचालित किया जाना असंभव था। पर्याप्त कक्षा–कक्षों के अभाव में दो–तीन कक्षा के विद्यार्थियों को एक ही कक्ष में बैठाना पड़ता था। स्थानाभाव के कारण ही प्रत्येक कक्षा में अलग–अलग समय पर नियमित अध्यापन करवाया जाना असंभव था। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक द्वारा आवासीय परिसर में सुविधाओं के विस्तार हेतु अनेक प्रयास किये गये। विद्यालय भवन की स्थिति देखकर उन्होंने इसके लिए अलग स्थान चिन्हित करने के लिए अकादमी के अधिकारियों और प्रधानाध्यापक श्री घनश्याम शर्मा को निर्देश दिये। विद्यालय भवन के पास ही जर्जर आवासीय भवन देखकर उन्होंने उक्त भवनों के स्थान पर नये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण हेतु उक्त भवनों की जमीन विद्यालय भवन के निर्माण के लिए सुपुर्द करने हेतु पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया। अन्ततः उनके प्रयास से विद्यालय के लिए भूमि का आवंटन हुआ। भूमि आवंटन के पश्चात् भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करवाना भी एक बड़ी कवायद थी। इस निमित उन्होंने तत्कालीन शिक्षा आयुक्त श्री ललित के. पंवार को अकादमी में भ्रमण करवाकर विद्यालय भवन के लिए राशि उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। वर्ष 2008 में तीन कक्षाकक्षों के निर्माण हेतु 6,90,000/रुपये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत हुऐ। उक्त राशि खर्च करने के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन करवाया जिसमें प्रधानाध्यापक को सचिव के रुप में तथा सदस्य के रुप में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं, उनके माता–पिता या संरक्षकों को भी शामिल किया गया। भवन के लिए स्वीकृत राशि सर्व शिक्षा अभियान मद से विद्यालय के बैंक खाते में सीधी जमा होती थी। राशि के खर्च के लिए और निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए निरन्तर विद्यालय भवन में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। अब तक विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जाकर बीस लाख नब्बे हजार रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। इस राशि से अब तक सात कमरे एवं प्रधानाध्यापक कक्ष, छात्र–छात्राओं के लिए शौचालय, पानी का टैंक एवं बिजली फिटिंग तथा बाल क्रिया कलापों का कार्य करवाया जा चुका है। आधुनिक समय में शिक्षा का अतिशय महत्व है। मानव सम्पदा के विकास के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरुरी है।

जंगल कैम्प

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उप निरीक्षक पुलिस (प्रो0) से रिक्रूट कानि. तक के प्रशिक्षणार्थियों का दिनांक 06.04.2012 से दिनांक 08.04.2012 तक प्रथम चरण एवं दिनांक 09.04.2012 से दिनांक 11.04.2012 तक द्वितीय चरण में संस्था को आवंटित ग्राम–मोरिजा, तहसील–चौमू में स्थित पुलिस फायरिंग रेंज पर जंगल कैम्प का आयोजन करवाया गया। यह जंगल कैम्प श्री ज्ञानचन्द्र, सहायक निदेशक (आउटडोर) के मार्गदर्शन व निर्देशानुसार सम्पन्न किया गया। जिसके पहले चरण में कैम्प कमाण्डेन्ट श्री ज्ञानसिंह, कम्पनी कमाण्डर, जितेन्द्र कुमार कम्पनी कमाण्डर, श्री महेन्द्र सिंह प्लाटून कमाण्डर एवं द्वितीय चरण में श्री ज्ञानचन्द, कम्पनी कमाण्डर द्वारा अपने सुपरविजन में उक्त सभी विषयों का संस्था के प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण करवाया गया। जंगल कैम्प में फील्ड क्राफ्ट एवं टेक्टिस, एम्बुश, पेट्रोलिंग, नाकाबन्दी, रैड, कॉर्डन एण्ड सर्च, एन्टी डकैती ऑपरेशन, चान्स काउण्टर ऑपरेशन्स, नाईट नेवीगेशन, मैप रीडिंग, गांव की तलाशी व छानबीन, कैम्प प्रोटेक्शन्स, ई. ओ.डी., कैमोफ्लाइज एवं कन्सीलमेन्ट, दंगा विरोधी कवायद, हथियारों की जानकारी, गैसगन, एन्टी रॉइट गन, वी.एल.पी., पी.पी.टी.एच., जंगल रुट मार्च, फायरिंग आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया तथा सभी विषयों के लाइव डेमोस्ट्रेशन्स किये गये। जिसमें .303'' के 2480 राउण्ड, 7.62 एम.एम. के 2480, .303'' ब्लेक के 326, वी.एल.पी. के लाल–11, हरे–17, तथा सफेद–03, पी.पी.टी.एच., 13 एम.एम. के लाल –14, हरे–01, सफेद–03, सिंगल वे ग्रेनेड–40, थ्री वे ग्रेनेड–60, स्टन ग्रेनेड मार्क III नागपाश–24 तथा स्टन ग्रेनेड मार्क II नागपाश–03 एम्यूनेशन व म्यूनेशन का प्रयोग किया। जिससे प्रशिक्षणार्थियों को उल्लेखित विषयों का जमीनी बनावट के आधार पर उचित प्रयोग करना सिखाया। इस जंगल कैम्प से प्रशिक्षणार्थियों द्वारा रुचि लेने से उनके कौशल में वृद्धि हुई है एवं विषम परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ है।

पुलिस प्रषिक्षण में जंगल कैम्प की सार्थकता के सम्बन्ध में कई व्यक्तियों में संषय है। जंगल कैम्प का उद्देष्य हमें विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। आज संचार के साधनों से चाहे जो भी प्रगति हुई हो परन्तु रेगिस्तान के धोरों में तथा चम्बल के बीहड़ में हमें जंगल कैम्प का अभ्यास ही काम आता है।

राजस्थान पुलिस अकादमी को भूमि आवंटन

राजस्थान पुलिस अकादमी की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। इससे पूर्व राजस्थान में पुलिस प्रशिक्षण की शुरुआत चितौड़गढ़ तथा किशनगढ़ में की गई थी। अकादमी में कॉन्स्टेबल से लेकर आई.पी.एस. तक आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस दूर संचार के लिए भी सहायक उप निरीक्षक से लेकर निरीक्षक तक आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। माउण्टेड बेसिक कोर्स एवं बैण्ड बेसिक कोर्स भी राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रदान किया जाता है। हैड कॉन्स्टेबल से लेकर निरीक्षक तक प्रमोशन केडर कोर्स की सुविधा भी राजस्थान पुलिस अकादमी में है, जिसमे माउण्टेड पुलिस, डॉग स्कवायड एण्ड डॉग हेण्डलर, फोटोग्राफी एवं बैण्ड के लिए दिये जाने वाला प्रमोशन केडर कोर्स शामिल है। इसके अतिरिक्त रिफ्रेशर कोर्स, सेण्डविच कोर्स एवं विशेष कोर्सेज वर्ष भर चलते रहते हैं। अकादमी में विभिन्न सुविधाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की आश्यकता थी। राजस्थान पुलिस परिसर से लगती हुई ग्राम किशनबाग तहसील जयपुर के ख.नं. 50, 105, 107, 105/142, 106/143 एवं 107/144 कुल रकबा 115–01 बीघा (कुल क्षेत्रफल 347875 वर्गगज) भूमि के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया गया। राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता को महसूस करते हुए पुलिस अकादमी के लिए उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 27.01.2012 को कर दिया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की 73 वीं बैठक में दिनांक 27.01.2011 को उक्त निर्णय लिया गया। आवंटित भूमि के लिए राज्य सरकार एवं राजस्थान पुलिस अकादमी में इकरारनामा दिनांक 24.02.2012 को श्री गिरीश पाराशर सक्षम अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण जॉन 2 जयपुर के साथ सम्पन्न हो चुका है। उक्त भूमि को शीघ्र ही बाउण्ड्रीवॉल एवं कन्टीले तारों से सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान पुलिस अकादमी को आवंटित भूमि में अनेक सुविधाओं का विस्तार किये जाने पर विचार किया जा रहा है। उक्त भूमि माउण्टेड एवं बैण्ड प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में असाल्ट आदि का विस्तार भी किया जा सकता है। इस आवंटन के पश्चात् राजस्थान पुलिस अकादमी का परिसर प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए पर्याप्त हो गया है। राजस्थान पुलिस अकादमी देश की श्रेष्ठ अकादमियों में से एक है तथा परिसर की दृष्टि से भी देश की बड़ी अकादमियों में शामिल हो गई है।

सी.डी.टी.एस. के लिए भूमि आवंटन

भारत सरकार द्वारा देश में दो सेन्ट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल (सी.डी.टी.एस.) की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से एक भारत सरकार द्वारा जयपुर राजस्थान में स्थापित करने का निर्णय लिया जा चुका है। पूर्व में सी.डी.टी.एस. के लिए भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा जयपुर–अजमेर राजमार्ग पर धांमीकला के नजदीक किया जाना निश्चित किया गया था। किन्हीं कारणों से उक्त भूमि सिक्किम मनीपाल विश्वविद्यालय को आवंटित कर दी गई। सी.डी.टी.एस. के लिए उसके पास ही अन्य भूमि करीब बीस एकड़ देने का प्रस्ताव दिया गया। भारत सरकार, गृह मंत्रालय को उक्त स्थान प्रशिक्षण की दृष्टि से अनुपयुक्त प्रतीत हुआ। प्रशिक्षणार्थियों एवं फैकल्टी दोनों को ही उक्त स्थान तक पहुँचने में बेहद परेशानी होती। उक्त स्थान के विकसित होने में अभी कई वर्षों का समय और लगने वाला है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बी.पी.आर.एण्ड.डी. के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार से किसी और अधिक उपयुक्त स्थान पर भूमि आवंटन हेतु प्रयास किया गया। राज्य सरकार एवं पुलिस अधिकारियों से विचार–विमर्श के पश्चात उनके द्वारा उक्त भूमि के स्थान पर राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर से लगती नई भूमि में से आठ–दस एकड़ भूमि सी.डी.टी.एस. को दिये जाने का प्रस्ताव भेजा गया। राजस्थान पुलिस अकादमी सी.डी.टी.एस. को नव आवंटित भूमि में से आठ–दस एकड़ भूमि देने के लिए तैयार हो गया। अकादमी द्वारा अपनी भूमि के समर्पण के बदले सी.डी.टी.एस. को प्रस्तावित भूमि राजस्थान पुलिस अकादमी को आवंटित करवाने के लिए राज्य सरकार से पुलिस मुख्यालय के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा अपने परिसर से जुड़ी हुई नई आवंटित भूमि में से सी.डी.टी.एस. को भूमि दिया जाना अकादमी के लिए भी लाभदायक रहेगा। पुलिस प्रशिक्षण के दौरान दोनों प्रशिक्षण संस्थानों में तालमेल के द्वारा एक–दूसरे को फैकल्टी उपलब्ध होगी व अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा। सी.डी.टी.एस. को प्रस्तावित पूर्व भूमि जयपुर रेल्वे स्टेशन एवं बस अड्डे से दूर होने के कारण प्रशिक्षणार्थियों के लिए सुगम नहीं होती। वर्तमान में सी.डी.टी.एस. की स्थापना अस्थाई तौर पर विद्याधर नगर में की जा चुकी है।

आर.पी.एस. के 46 वें बैच का प्रशिक्षण प्रारम्भ

राजस्थान पुलिस अकादमी में आरपीएस के 46 वें बैच का प्रशिक्षण दिनांक 05.04.2012 से शुरु किया गया है। इस बैच में कुल 08 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों में सुश्री स्वाति शर्मा, श्री नितिन कुमार जैमन, कुमारी अंजना सुखवाल, श्री नानगराम मीणा, श्री ज्ञानप्रकाश नवल, श्री शिवलाल बैरवा, कुमारी शालिनी राज एवं श्री गुमानाराम हैं। श्री गुमानाराम के अतिरिक्त इन अधिकारियों को इससे पूर्व हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में दिनांक 27 दिसम्बर 2011 से 05 अप्रेल 2012 तक 15 सप्ताह की अवधि के लिए आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों को अकादमी में 52 सप्ताह का पुलिस का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों में अनुशासन बनाये रखने, सेवा सम्बन्धी कठिनाईयों के समाधान एवं प्रशिक्षण में रुचि बनाये रखने के लिए डॉ0 रामेश्वर सिंह, सहायक निदेशक इण्डोर एवं श्री ज्ञानचन्द्र यादव, सहायक निदेशक आउटडोर को मेन्टॉर नियुक्त किया गया है। आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को इण्डोर में कानून एवं अन्य विषयों की जानकारी प्रदान की जायेगी, जिसमें मेजर एक्ट, विशेष एवं स्थानीय कानून, फोरेन्सिक साइन्स एवं मेडिकल ज्यूरिस्ट प्रयूडेन्स, राजस्थान पुलिस रुल्स, रेग्यूलेसन्स एवं सेवा नियम, पुलिस प्रशासन एवं प्रबन्धन, सुरक्षा एवं लोकशांति, क्रिमिनॉलाजी, पुलिस का व्यावहारिक कार्य, कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आउटडोर में पी.टी., ड्रिल, हथियारों की सिखलाई, फिल्ड क्राफ्ट, ई.ओ.डी., मस्केट्री, फायरिंग, मोटर ड्राइविंग, फायर फाइटिंग, आपदा प्रबन्धन, फ्रस्ट एड, एन्टी–डेकोयटी ऑपरेशन्स, जंगल कैम्प आदि की सिखलाई दी जायेगी। आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात् इन अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु जिलों में भेजा जायेगा।

प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को पुलिस कार्य से सम्बन्धित सभी विधाओं में निपुण बनाने का प्रयास किया जायेगा। प्रशिक्षण में इण्डोर एव आउटडोर के अतिरिक्त खेल एव श्रमदान के द्वारा भी अधिकारियों को शारीरिक सक्षमता तथा जीवन से जुड़े व्यावहारिक कार्यों को करने के लिए मानसिक रुप से तैयार किया जायेगा। पुलिस का कार्य पूर्णतया प्रबन्धकीय कार्य बनता जा रहा है, जिसमें व्यक्तित्व विकास, प्रभावशाली अभिव्यक्ति भी अत्यधिक महत्व रखते हैं। पुलिस प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों के सम्पूर्ण विकास का प्रयास किया जायेगा ताकि ये अपने कार्य का दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

पुलिस में ड्यूटी का समय निश्चित नहीं होने के कारण जवानों को समय पर तथा अपनी पसन्द का खाना नहीं मिलना सामान्य बात है। कई बार जवानों को ड्यूटी स्थल पर खाना पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है परन्तु जयपुर जैसे बड़े शहर में खाना वितरण करने में भी अत्यधिक समय लग जाता है। प्रथम स्थान से अन्तिम स्थान तक पहुँचने में ढ़ाई से तीन घण्टे तक का समय लगना आम बात है। अन्तिम स्थान तक पहुँचते– पहुँचते रोटियां तथा सब्जी या दाल खाने जैसी भी नहीं रह पाती है। एक–दो जवान के लिए तो खाना पहुँचाने की व्यवस्था ही नहीं हो पाती है। ड्यूटी में विलम्ब होने पर भी अत्यधिक बासी खाना खाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मैस में खाने का स्तर भिन्न होता है। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियां तथा मैस संचालनकर्ता की प्रबन्धकीय क्षमताओं के अतिरिक्त लांगरी आदि की खाना बनाने की दक्षता भी महत्वपूर्ण है। मैस में खाने के अतिरिक्त मैस की साफ–सफाई भी महत्वपूर्ण होती है। अधिकांश थानों पर अस्थाई मैस व्यवस्था होने के कारण तथा मैस का स्थान अनुचित या अनुपयुक्त होने के कारण मैस में सफाई नहीं हो पाती है। पुलिस में मैस व्यवस्था की स्थिति पर राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित हैल्थ रिसोर्स एवं हेल्प लाईन द्वारा 18 पुलिस थानो एवं जयपुर शहर तथा जयपुर ग्रामीण पुलिस लाईन में दिनांक 10 से 14 जुलाई तक सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण अवलोकन एवं साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित था, जिसमें कुल 14 प्रश्न मैस व्यवस्था के सम्बन्ध में थे। मैस सदस्यों से पूछे गये प्रश्नों में मैस व्यवस्था एवं भोजन की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गई।

वस्तुतः मैस व्यवस्था के सम्बन्ध में जो तथ्य उभर कर सामने आये उससे स्पष्ट है कि लांगरी की स्वच्छता में 40 प्रतिशत, मैस की सफाई में 50 प्रतिशत तथा भोजन करने के स्थान की व्यवस्था एवं स्वच्छता के 55 प्रतिशत मामलों में स्थिति खराब या अत्यन्त खराब पायी गई। भोजन की गुणवत्ता के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत पुलिसकर्मी अधिक असंतुष्ट तथा 20 प्रतिशत पुलिसकर्मी मैस व्यवस्था से असंतुष्ट पाये गये। इस क्रम में यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि 95 प्रतिशत मैसों में नाश्ता उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। खाने में सुबह एवं रात के भोजन में चावल किसी भी मैस में नहीं खिलाया जाता है। 95 प्रतिशत मामलों में हरी सब्जी, 70 प्रतिशत मामलों में सलाद व 50 प्रतिशत मामलों में दही खाने में उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। यह भी तथ्य सामने आया कि रात्रि के भोजन में 95 प्रतिशत मैसों में दाल खाने में उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। मैस में भोजन करने वालों से चर्चा करने पर यह भी तथ्य सामने आया कि 35 प्रतिशत मामलों में सरकार द्वारा दिए जा रहे मैस भत्ते के अतिरिक्त भी कार्मिकों से राशि एकत्रित की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी तथ्य स्पष्ट हुआ कि शेष 65 प्रतिशत मैसों में भी पुलिसकर्मियों ने गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए अतिरिक्त राशि वहन करने की इच्छा व्यक्त की है।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि पुलिसकर्मियों को उपलब्ध करवाये जा रहे भोजन में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। पुलिस मैस व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन से रिजर्व पुलिस लाईन जयपुर शहर एवं जयपुर ग्रामीण तथा पुलिस थाना चौमू, कोतवाली, हरमाड़ा एवं सोडाला में मैस व्यवस्था अच्छी पायी गई जबकि पुलिस थाना चन्दवाजी, कोटपूतली, शास्त्रीनगर, बस्सी, शिवदासपुरा एवं दूदू में मैस व्यवस्था अच्छी नहीं पाई गई। **महर्षि चरक के इस कथन में कोई संदेह नहीं है कि ''स्वास्थ्य और रोग पूर्व निर्धारित नहीं हैं, मानवीय प्रयास और जीवनशैली पर ध्यान देकर ही दीर्घ अवधि तक निरोगी एवं सुखद् जीवन जीया जा सकता है।''** पुलिसकर्मी की अनियमित दिनचर्या के कारण अनेक तरह की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं पैदा होती हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं स्वच्छ सम्मानजनक खाने का स्थान होना चाहिए। पुलिस कल्याण कार्यों में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पुलिस मैसों के सर्वेक्षण का उद्देश्य मैस व्यवस्था में वांछित सुधार लाना था। आज के युग में स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ खुराक तथा स्वस्थ सोच की आवश्यकता है। मैसों में न केवल खाने की गुणवत्ता में कमी पाई गई अपितु खाना बनाने एवं खाना खाने के स्थान भी अत्यधिक खराब पाये गये। सभी स्तर के नेतृत्व को चाहिए कि वह अपने जवानों के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना बनवाये जिसमें सभी पौष्टिक तत्वों का समावेश हो। जवानों ने सरकार द्वारा दिए जा रहे मैस भत्ते के अलावा अतिरिक्त राशि खर्च करने की मंशा जाहिर की है। उक्त खाने को बनाने का स्थान तथा पात्र भी साफ–सुथरे होने चाहिए। इनमें सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि खाना खाने का स्थान मानवीय गरिमा के अनुरुप होना चाहिए। व्यवस्थाओं में सुधार से ही नेतृत्व दिखाई देता है तथा अव्यवस्थाओं से कर्त्तव्य का लोप नजर आता है।

असम्मोहाय मर्त्यानामर्थ संरक्षणाय च
मर्यादा स्थापिता लोके दण्डसज्ञां विशाम्पते।

(शासन वह सीमायें बांधता है, जिसमें अराजकता पर अंकुश होता है और जानमाल की सुरक्षा होती है।)

इस युग में अधिकारों की बात तो सभी करते हैं परन्तु कर्त्तव्यबोध बहुत कम लोगों को याद रहता है। हमारे सभी सुखों का आधार मात्र अधिकार ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्त्तव्य की कसौटी पर खरा उतरने से लोगों का जीवन अधिक सुखमय बन सकता है। पुलिस विभाग के सम्बन्ध में यह बात विचित्र है कि पुलिस अन्य विभागों की तुलना में अधिक समय तक कार्य करने के उपरान्त भी जनता में अच्छी छवि की मोहताज है। पुलिस का कार्य निश्चय ही जनसेवा का कार्य है। अगर हम अपने कर्त्तव्य को पूर्ण ईमानदारी एवं प्रतिबद्धता से करें तो लोग पुलिस को निश्चय ही अपना रक्षक मानने लगेंगे। कहने का आशय यह है कि पुलिस में ईमानदारी और प्रतिबद्धता है, परन्तु कुछ व्यक्तियों के कारण पुलिस की छवि खराब होती है। पुलिस पर भ्रष्ट और निष्ठुर होने की तोहमत लगाई जाती है। क्या समाज में उपलब्ध लोगों की छंटनी करके भ्रष्ट और निष्ठुर लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाता है ? कहने का आशय है कि समाज में जितने भ्रष्ट और निष्ठुर लोग हैं, उनकी पुलिस की नफरी के अनुसार ही संख्या पुलिस बल में हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। हमें जनता में अपनी स्वच्छ छवि गढ़ने के लिए निरन्तर सार्थक प्रयास करने होंगे। क्या आपको मालूम है कि राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के अध्याय 5 में पुलिस अधिकारियों के कृत्य, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्वों का उल्लेख है।

आज हमें अपने कृत्य, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्वों का पुनः स्मरण करना है। हमारे उत्तरदायित्व में विधि का प्रवर्तन करना और जनता के जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, अधिकारों, गरिमा और मानवाधिकारों का संरक्षण करना, अपराध और लोक न्यूसेंस का निवारण करना, लोक व्यवस्था बनाये रखना, आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना, आन्तरिक क्रियाकलापों का निवारण करना और लोक शांति का संरक्षण करना, लोक सम्पत्ति का संरक्षण करना, अपराधों का पता लगाना और अपराधियों को न्यायालय में पेश करना, ऐसे व्यक्तियो को पकड़ना जिन्हें हम पकड़ने के लिए विधिक रुप से प्राधिकृत है और जिनके पकड़े जाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। हमारे यह भी कर्त्तव्य हैं कि हम प्राकृतिक या मानवकृत आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थितियों में जनता की मदद करें और राहत कार्यों में अन्य एजेन्सियों की सहायता करें, यातायात को नियंत्रित और विनियमित करें, लोक शांति को प्रभावित करने वाली और अपराध से सम्बन्धित आसूचना एकत्र करें, लोक प्राधिकारियों को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए सुरक्षा उपलब्ध करायें और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करें और ऐसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें जो हमें विधि द्वारा या किसी भी विधि के अधीन ऐसे निर्देश जारी करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये हों।

नये पुलिस अधिनियम में पुलिस अधिकारियों के लिए सामाजिक दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है। हमारे सामाजिक दायित्वों में जनता के सदस्यों से विशिष्टतया वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय सम्यक् शिष्टता और शालीनता से व्यवहार करना, जनता के सदस्यों विशिष्टतया वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों और शारीरिक और मानसिक रुप से शिथिलांग व्यक्ति, जो सड़कों या अन्य लोक स्थानों पर असहाय स्थिति में पाये जाते हैं, का मार्गदर्शन और सहायता करना, अपराध और सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अपेक्षित सहायता उपलब्ध करवाना शामिल है। लोक स्थानों और लोक परिवहन में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बालकों के उत्पीड़न, जिसमें पीछा करना, आपत्तिजनक भाव–भंगिमा, संकेत, फब्तियां या किसी भी रुप में किया जाने वाला उत्पीड़न सम्मिलित है, का निवारण करना और जनता के सदस्यों विशिष्टतया महिलाओं, बालकों और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को विधिपूर्ण सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी पर संज्ञेय अपराधों को पंजीबद्ध करने की जिम्मेदारी डाली गई है तथा यह भी व्यवस्था की गई है कि उसके द्वारा संज्ञेय अपराध को दर्ज करने से इंकार करने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाये तथा उसके सेवा अभिलेख में भी उसका इंद्राज किया जाये। इसके साथ ही जब कभी उस अधिकारी की क्षमता और निष्पादन के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जा रहा

हो तो इस प्रकार की प्रविष्टि पर भी विचार करने की व्यवस्था की गई है। राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 में पुलिस अधिकारी को सदैव ड्यूटी पर माना गया है। उन्हें राज्य के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है। राज्य सरकार की अनुमति के बिना उन्हें उनके कर्त्तव्यों से भिन्न किसी भी प्रकार के नियोजन या कार्यालय में नियोजित होने पर पाबन्दी लगाई गई है। पुलिस अधिकारियों को अपनी ड्यूटी से हटते समय भी अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना ड्यूटी से हटने पर पाबन्दी लगाई गई है। उन्हें अदावाकृत सम्पत्ति का प्रभार लेने, डायरी रखने आदि के लिए भी निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधिनियम में लिखित कृत्यों, कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त प्रत्येक पुलिस अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह हर समय ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा का पालन करें तथा पदीय शूचिता बनाये रखें। पुलिस में कार्यशैली पर अभी भी ब्रिटिश शासन एवं सामंती व्यवस्था की छाप है। देश की आजादी के 65 वर्ष बाद भी हम अपनी कार्यशैली को प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरुप नहीं बना पाये हैं। पुलिस की कार्यशैली में परिवर्तन के लिए लम्बे समय से कवायद जारी है। आज प्रशिक्षण में भी प्रजातांत्रिक तौर तरीकों को शामिल किया गया है। सेवाकालीन अनगिनत प्रशिक्षणों के माध्यम से भी पुलिस को शासन करने की प्रवृत्ति छोड़कर सेवा करने की प्रवृति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अभी तक सार्थक परिणाम तो आये हैं परन्तु अभी भी बहुत कुछ बदलना शेष है।

जनता से बेहत्तर सेवा की हमारी प्रतिबद्धता में जो भी अवरोध हैं उन्हें द्रुत गति से दूर किये जाने की आवश्यकता है। भ्रष्ट, निष्ठुर, लापरवाह, अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों पर नियंत्रण के लिए कानून एवं आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। इससे पूर्व उन्हें विभिन्न प्रशिक्षणों एवं चेतावनियों के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। भाई–भतीजावाद एवं पक्षपात करने वालों को भी चेतावनी दी जानी चाहिए तथा नहीं सुधरने पर उन्हें कम महत्त्वपूर्ण स्थानों पर पदस्थापित किया जा सकता है।

पुलिस की प्राथमिकताऐं, जिन्हें प्रतिबद्धता भी कहा जा सकता है, का उल्लेख राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की प्रस्तावना में किया गया है, जिसमें जनता के मानवाधिकारो का आदर एवं संप्रवर्तन करना और नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण कर विधि सम्मत शासन की स्थापना करना, अल्प संख्यकों एवं दुर्बल वर्गों के हितों की सुरक्षा और नागरिकों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरुप निष्पक्ष और दक्ष पुलिस सेवा उपलब्ध कराना, पुलिस कार्मिकों को संगठित, सेवोन्मुखी, बाह्य प्रभावों से मुक्त तथा विधि के प्रति जवाबदेह बनाना, पुलिस व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों और राज्य की सुरक्षा, सुशासन की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए दक्ष, प्रभावी, जनमित्रवत् और प्रत्युत्तरदायी एजेन्सी के रुप मे कार्य करने के लिए सशक्त करना शामिल है। वस्तुतः यदि हम हमारी पुलिस व्यवस्था की विकसित राष्ट्रों की पुलिस व्यवस्था से तुलना करें तो हमें अनुसंधान एवं अन्य पुलिस कार्यों में सुधार की जरुरत है। वर्तमान पुलिस व्यवस्था एवं ब्रिटिशकाल की पुलिस व्यवस्था में प्रतिबद्धता का अन्तर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ब्रिटिश कालीन पुलिस ताज की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थी। आज हमारी प्रतिबद्धता नागरिकों की सुरक्षा व सेवा है। निश्चित ही हमें देश की जनता को बेहतर सेवा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि उनसे वसूले टैक्स से ही हमें वेतन प्राप्त होता है। अतः इस रुप में भी जनता हमारी स्वामी है तथा हम उसके सेवक हैं।

– **जगदीश पूनियाँ,** आरपीएस

निवेदन

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा न्यूज लेटर के माध्यम से पाठकों तक विभिन्न गतिविधियों की जानकारी के अतिरिक्त पुलिस कार्य से जुड़ी जानकारियां प्रदान की जाती है। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्षन का कार्य करेगें। अतः इस अंक के सम्बन्ध में अपने विचार अवष्य प्रेषित करें।

– **सम्पादक**

O, that estates degrees and offices were not derived corruptly, and that clear honour were purchased by the merit of the wearer.
How many then should cover that stand bare!
How many be commended that command!
How much low peasantry would then be gleaned
From the true seed of honour ? and
How much honour pick from the chaff and ruin the time to be new vanished.

- Shakespeare

रंगों से अभिव्यक्त : तम्बाकू मुक्ति का सन्देश

''समझो तो वक्त का इशारा,
जिन्दगी नहीं मिलेगी दुबारा।''

इस सन्देश के साथ एक ओर सिगरेट की आकृति का अंकन जिसमें प्रदर्शित है सिगरेट में मौजूद खतरनाक रासायनिक तत्व तो दूसरी ओर सिगरेट के धुएँ के साथ तिल–तिल सुलगता आदमी का चित्र।

ऐसे ही अन्य अनेक सन्देश लिखे थे, राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित की गई पोस्टर प्रतियोगिता में प्रशिक्षुओं की पोस्टर प्रविष्टियों पर। 31 मई 2008 से तम्बाकू मुक्त परिसर के रूप संस्था के कर्मचारियों, संकाय सदस्यों एवं प्रशिक्षुओं को तम्बाकू से मुक्त रखने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता के अभियान की कड़ी में ही 25 मई 2012 को अपने सभी प्रशिक्षुओं एवं कार्यरत संकाय सदस्यों के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में यह प्रतियोगिता रखी थी। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हुए इस मुद्दे से जोड़ा जाना था। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।

इस प्रतियोगिता में मुख्यतः दो शीर्षकों 'तम्बाकू को नहीं : अभी और हमेशा तथा तम्बाकू से मुक्ति : क्योंकि जीवन है अनमोल' पर लगभग 59 प्रशिक्षुओं की प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई। इस खुली प्रतियोगिता में पोस्टर कलर, वॉटर कलर, पेन्सिल कलर, इन्टरनेट से एकत्रित सामग्री, क्लिप आर्ट तथा हाथ से बनाये रेखाचित्र सभी का प्रयोग करते हुए विविध आकारों आयताकार, त्रिभुजाकार तथा वृत्ताकार पोस्टरों का निर्माण किया गया। प्रतिभागियों ने थर्माकोल तथा लकड़ी के हार्डबोर्डों का प्रयोग करते हुए अपनी रचनात्मक ऊर्जा के साथ अपनी सोच एवं सन्देशों को व्यक्त किया गया। इन रचनाओं में प्रतिभागियों ने विषयवस्तु के साथ नवीन प्रयोग करते हुए तम्बाकू के प्रयोग से व्यक्तिगत, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों, तम्बाकू पीने सम्बन्धी गलत धारणाओं तथा तम्बाकू उपयोग करने वालों एवं उपयोग न करने वालों की तुलनात्मक स्थिति की विवेचना को व्यक्त किया गया। प्रतिभागियों ने प्रत्येक पोस्टर के साथ रचनात्मक सन्देश भी लिखे थे। इन सन्देशों में ''नशा नरक का द्वार है ज्यादा करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार है'' जैसी चेतावनियाँ थी तो ''मत पी बीड़ी सिगरेट मेरे हमजोली, ये ही मारेगी बनकर तुम को गोली'' जैसी समझाईश थी तो कहीं नशा छोड़ने के सात सूत्र भी सुझाये गये थे।

गैर प्रतियोगी श्रेणी में अकादमी के 9 संकाय सदस्यों ने भी अपनी प्रविष्टियों के माध्यम से तम्बाकू मुक्ति के मुद्दे से अपना जुड़ाव रखा। इन में कुन्दन सिंह (कॉन्स्टेबल) एवं शर्मिला देवी (जलधारी) की रोचक प्रविष्टियाँ भी शामिल थी।

पोस्टर प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ही इसी दिन आर.पी.ए. आडिटोरियम में नशा मुक्ति पर आर.पी.ए. संकाय सदस्य डॉ. रूपा मंगलानी द्वारा संकलित 25 मिनट का लघु वृतचित्र 'मर्जी है आपकी : जीवन है आपका' का प्रदर्शन एवं इण्डियन अस्थमा केयर सोसायटी के श्री धर्मवीर द्वारा लघु प्रस्तुतीकरण दिया गया। साथ ही प्रशिक्षुओं की नशामुक्ति एवं तम्बाकू छोड़ पाने में आ रही मुश्किलों सम्बन्धी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस सम्पूर्ण आयोजन का सुखद पक्ष यह रहा

तम्बाकू मुक्ति की शपथ

कि इसी दिन अकादमी के 16 प्रशिक्षुओं ने स्वतः अपनी तम्बाकू सेवन की आदत को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा तथा प्रण लिया कि वे अब इस दुष्प्रवृत्ति से मुक्ति का पूरा प्रयास करेगें।

निर्णायक मण्डल में शामिल माननीय निर्णायकों श्री ज्ञानचन्द सहायक निदेशक (आउटडोर), श्रीमती कमल शेखावत सहायक निदेशक (सी.डी.पी.ए.एम.), श्री रमेश तिवाड़ी, पुलिस उप अधीक्षक (सेवानिवृत), श्री सुनील पूनिया, पुलिस निरीक्षक (सेवानिवृत), के निर्णयानुसार प्रतियोगिता के प्रतिभागी जितेन्द्र प्रसाद (कानि. रिक्रु.) को प्रथम, रामचन्द्र ईनाणियाँ (कानि. रिक्रु.) को द्वितीय, जयकिशन (एस.आई., प्रोबे) को तृतीय एवं सांत्वना पुरूस्कार गुमानाराम (आर.पी.एस., प्रोबे), भरत कुमार (कानि. रिक्रु.), सुदेश कुमार (कानि. रिक्रु.), जय श्री (कानि. रिक्रु.) को घोषित किये गये।

दिनांक 05.06.2012 को पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रेरक पुस्तकों एवं प्रमाण पत्र से पुरस्कृत कर प्रतिभागियों की रचनात्मकता एवं उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि, ''शारीरिक एवं मानसिक रूप से सबलता पाने के लिए हमें तम्बाकू एवं नशे की आदत से मुक्त होना होगा।''

डॉ. रूपा मंगलानी

श्रेष्ठ कृत्तियां

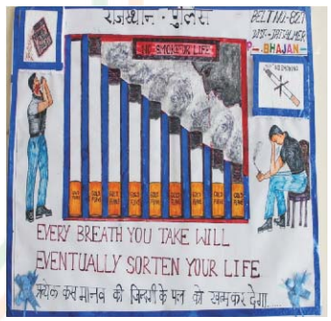

रोचक सन्देश

आहिस्ता आहिस्ता मरना, न मर जाना पल भर में
बेकसूर भी शीघ्र मिले, तुम को कब्रिस्तान में।

जो करते है, तम्बाकू से प्यार
वो हो जाएँ मौत के लिए तैयार।

तम्बाकू खाओ मौत का प्रमाण पत्र पाओ।

सुखी जीवन का आधार, तम्बाकू मुक्त संसार।

दिल दुखाएँ पीड़ा दिलाए,
इन्सान की ये दुर्गत बनाए।

शौक– बीमारी–अस्पताल–मृत्यु = तम्बाकू।
क्या आप है तैयार ?

चलो अब नशा छोड़ने की जिद्द करें।

विभागीय कार्यवाहियों की समीक्षा

विभागीय कार्यवाहियों पर पुलिस विभाग में मिली जुली प्रतिक्रिया है। जहां एक तरफ विभागीय कार्यवाहियाँ अनुशासन एवं शुचिता के लिए अतिशय जरुरी हैं, वहीं इनके दुरुपयोग से अनेक कर्मचारी आहत भी हैं। विभागीय कार्यवाहियों में अधिकारी स्तर पर प्रत्येक अधिकारी द्वारा दुराचरण के एक जैसे मामले में अलग–अलग शास्तियों के आदेश पारित किये जाते हैं। कई बार गम्भीर दुराचरण के मामले में कई अधिकारी साधारण सजा दे देते हैं तो कभी–कभी साधारण दुराचरण के मामले में बड़ी शास्ति का आदेश पारित कर दिया जाता है। शास्ति लगाने के मामले में मनमर्जी के स्थान पर पारदर्शिता अपनाई जाने की जरुरत है। किसी कर्मचारी को अकारण या मामूली गलती पर दण्डित किये जाने से उसकी प्रतिबद्धता का क्षरण होता है। अतः प्रथम बार और जान–बूझकर नहीं की गई गलती के लिए अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिये। कतिपय मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को व्यक्तिगत कारणों से भी दण्डित कर दिया जाता है। अनेक बार एक ही मामले में संयुक्त जांच में कुछ कर्मचारी दण्डित कर दिये जाते हैं तथा शेष कर्मचारियों को दोषमुक्त कर दिया जाता है।

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा विभागीय कार्यवाहियों के परिणामों पर करवाये गये अध्ययन से गत 10 वर्ष में 17 और 16 सी.सी.ए. के तहत की गई कार्यवाहियों की संख्या अत्यधिक पाई गई। एक अनुमान के अनुसार 17 सी.सी.ए. में पुलिस विभाग में की गई कार्यवाहियों की कुल संख्या राजस्थान सरकार के अन्य विभागों के समस्त कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही से अधिक है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि लगभग एक तिहाई मामलों में आरोप पत्र देने के पश्चात् या अपील में आरोपित कर्मचारी दोषमुक्त कर दिये जाते हैं। इस बात से दोनों ही अर्थ निकाले जा सकते हैं जिसमें निर्दोष कर्मचारियों को दोषमुक्त किया जाना या कमजोर और आधारहीन मामलों में आरोप पत्र दिया जाना शामिल है। एक अन्य तथ्य जो अध्ययन में शामिल नहीं हुआ तथा दोषमुक्ति का प्रमुख आधार है, अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण से पूर्व किये गये फैसले हैं। आरोपित कर्मचारी के प्रयास से या अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कई मामलों में स्थानान्तरण से पहले निर्णय किये जाते हैं। इस प्रकार के आदेशों की निष्पक्षता हमेंशा विवादित रही है।

अनुशासनिक अधिकारी द्वारा शास्तियों का प्रयोग करते समय पूर्ण विवेक से निर्णय लेना चाहिए। दोषी कर्मचारी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसरण में युक्तियुक्त बचाव के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। छोटी शास्ति का आदेश पारित करते समय प्रत्येक आरोप पर दोषी कर्मचारी द्वारा दिये गये जवाब का विवेचन कर प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में आरोप के साबित होने या नहीं होने के सम्बन्ध में लिखना चाहिए। पुलिस में प्रायः लघुशास्ति के लिए आदेश पारित करते समय आदेश में लिख दिया जाता है कि 'दिया गया जवाब सन्तोषजनक नहीं है', और दण्डादेश पारित कर दिया जाता है। सम्पूर्ण तथ्यों के विवेचन बिना आदेश पारित किया जाना संविधान की मूल भावना के अनुरुप नहीं है। विभागीय जांच कार्यवाही अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ही कमोबेश जांच कार्यवाही में प्रयुक्त होती है। जांच कार्यवाही के दौरान भी दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर ही दण्ड दिया जा सकता है। विभागीय जांच में भी संदेह का लाभ दोषी कर्मचारी को दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 311 में नियुक्ति अधिकारी द्वारा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध जांच के पश्चात्, उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना देने एवं युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही पदच्युत या पद से हटाया जाना या पदावनत किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी शास्ति जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकती है। यह बात वहां लागू नहीं होती जहां किसी व्यक्ति को आपराधिक जाँच पर उसे दोषसिद्ध ठहराया गया हो या सक्षम अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि जाँच किया जाना युक्ति युक्त रुप से साध्य नहीं है अर्थात् विशेष परिस्थितियों में जहां जांच किया जाना युक्तियुक्त रुप से साध्य नहीं हो तो उसके कारण लिखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा दोषी कर्मचारी को पदच्युत या पद से हटाया जाना या पदावनत करने का दण्डादेश दिया जा सकता है। जांच करना युक्तियुक्त रुप से साध्य है या नहीं, के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का विनिश्चय अंतिम माना गया है। यद्यपि सक्षम अधिकारी को बिना जांच उपर्युक्त आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है परन्तु वास्तविक कारणों पर ही जांच नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाना चाहिए। इस प्रकार के दण्डादेशों के विरुद्ध अपील में सामान्यतया न्यायालयों द्वारा जांच के पश्चात् ही उचित कार्यवाही के आदेश के निर्णय दिये जा रहे हैं। अतः सामान्य परिस्थितियों में विभागीय जांच अवश्य करवाई जानी चाहिए।

सरकारी कर्मचारी सर्वाधिक नियम 17 से ही आहत है। इस नियम के तहत कर्मचारी को बचाव का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त नहीं होता है। यह प्रक्रिया संक्षिप्त विचारण की तरह से है। जिसमें कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जाकर उससे आरोपों के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में जवाब मांगा जाता है। उससे यह भी पूछा जाता है कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है। जवाब प्राप्त होने पर अनुशासनिक अधिकारी प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में समीक्षा किये बिना आरोपों पर आदेश पारित कर देते हैं। बिना समीक्षा एक पंक्ति में फैसला दिया जाना नैसर्गिक न्याय के अधिकार से वंचित करना है। व्यक्तिगत सुनवाई के समय भी अनुशासनिक अधिकारी एवं दोषी कर्मचारी दोनों ही होते हैं। अतः सुनवाई में उसके जवाब को सुना गया या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। यहां इस बात का उल्लेख भी उचित है कि गलत आरोप पत्र देने से अधीनस्थों में बेहद असंतोष पैदा होता है तथा उनकी प्रतिबद्धता का भी क्षरण होता है। अनुशासनिक कार्यवाही कभी भी कवा टांगने की तर्ज पर गलत एवं व्यक्तिगत दुर्भावना से या अधीनस्थों में भय पैदा करने के लिए शुरु नहीं की जानी चाहिए। इससे उस अधिकारी की छवि भी धूमिल होती है।

नियम 17 के तहत कार्यवाही चाहे संक्षिप्त विचारण की तरह से हो परन्तु सबसे छोटी सजा परिनिन्दा में भी एक कर्मचारी को बेहद नुकसान होता है। एक परिनिन्दा से ए.सी.पी. का लाभ एक वर्ष के लिए स्थगित हो जाता है। इस स्थगन का प्रभाव एक वार्षिक वेतन वृद्धि बन्द होने के समान होता है तथा कर्मचारी की पेंशन पर बेहद नुकसान होता है। पदोन्नति परीक्षा में एक परिनिन्दा से रिकॉर्ड में मिलने वाले अंकों में एक अंक कम हो जाता है। एक से अधिक सजाओं पर तदानुसार रिकॉर्ड के नम्बर कम होते चले जाते हैं। कर्मचारी का एक सजा से ही बेदाग सर्विस रिकॉर्ड दागदार हो जाता है तथा पदोन्नति में बोर्ड के समक्ष उसे सजा के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देना पड़ता है। विभागीय पदोन्नति के मामलों में भी एक परिनिन्दा से पदोन्नति में एक वर्ष की डी.पी.सी. का नुकसान होता है।

नियम 16 के तहत बड़ी सजा दिये जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इस समस्त प्रक्रिया में कई बार वर्षों लग जाते हैं। एक मामले में भी इस नियम के तहत कार्यवाही होने पर कर्मचारी की समस्त ताकत स्वयं को निर्दोष साबित करने में लग जाती है। यहां कहने का मतलब यह नहीं है कि इस नियम के तहत कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार के मामलों में त्वरित कार्यवाही से अन्य कर्मचारियों पर भी उचित असर पड़ता है। अतः नियम 16 की कार्यवाही गम्भीर दुराचरण के मामलों में अवश्य की जानी चाहिए परन्तु समस्त प्रक्रिया एक निश्चित अवधि में अवश्य पूर्ण की जानी चाहिए।

नियम 16 में यद्यपि कर्मचारी को बचाव का युक्तियुक्त अवसर देने की प्रक्रिया है परन्तु इसमें भी कई बार पूर्ण न्याय नहीं मिल पाता है। प्राथमिक जांच करने वाला अधिकारी कई बार अधीनस्थों के बयान मन मर्जी से लिख लेता है। बयान पर हस्ताक्षर होने के कारण विभागीय कार्यवाही में ऐसे अधीनस्थ कर्मचारी को अपने हस्ताक्षरयुक्त बयान का ही समर्थन करना पड़ता है। विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् आरोपों पर निर्णय करते समय अनुशासनिक अधिकारी अत्यधिक स्वविवेक का प्रयोग कर कई बार अत्यन्त गंभीर मामलों में छोटी शास्ति तथा साधारण लापरवाही के मामलों में बड़ी शास्ति लगाने के आदेश पारित कर देते हैं। इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर पर निश्चित प्रकार के दुराचरण के मामलों में सजा के लिए मानदण्ड तय होने चाहिए ताकि एक जैसे दुराचरण के मामलों में मिलने वाले दण्ड में समानता रखी जा सके। कई बार अनुशासनिक अधिकारी व्यक्तिगत आधारों पर दोषी कर्मचारी को कम या अधिक सजा दे देते हैं तो कभी–कभी दोषी कर्मचारी स्वयं अनुशासनिक अधिकारी पर विभिन्न तरीकों से कम दण्ड देने के लिए प्रभाव बना लेते हैं। समान तरह के दुराचरण के मामलों में दण्ड निर्देशिका होने से इस प्रकार की सम्भावना नहीं रहेगी।

अनुशासनिक कार्यवाही में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दुराचरण के मामलों में समानता रखी जाए तथा उसमें चुनकर दण्ड देने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए। विलम्ब से केस डायरी भेजने के मामलों में या किसी अन्वेषण या जांच में विलम्ब के मामले में सभी दोषियों के साथ समानता रखी जानी चाहिए। व्यक्ति विशेष से नाराजगी निकालने के लिए इस तरह के दुराचरण के मामले तलाश करवाकर एक साथ आरोप पत्र दिया जाना उचित नहीं है, यह दण्डित कर्मचारी में बेहद असंतोष के भाव पैदा करता है। प्रायः यह भी देखा गया है कि नियम 17 और नियम 16 में आरोप की भाषा समान होती है, जिसमें 'घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता' का आरोप लगाया जाता है। नियम

17 साधारण दुराचरण के मामलों के लिए होता है जिसमें घोर शब्द का उपयोग गलत है। घोर शब्द का प्रयोग नियम 16 के आरोप पत्र में ही किया जाना चाहिए। एक अन्य तथ्य जो विवरण योग्य है वह यह है कि आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र की भाषा भी लगभग सभी स्थानों पर समान पाई जाती है। आरोप पत्र में 'क्या दुराचरण किया', का उल्लेख होता है तथा आरोप विवरण पत्र में 'दुराचरण कैसे किया', का उल्लेख होता है। अतः दोनों की भाषा भिन्न होनी चाहिए।

विभागीय कार्यवाही में दण्ड मिलने के पश्चात् अपील मे भी कभी–कभी न्याय प्राप्त नहीं होता है। अपील सुनने वाला अधिकारी कभी–कभी दण्डादेश पारित करने वाले अधिकारी से ही मामले की पूछताछ कर लेता है। दण्ड देने वाला अधिकारी अपनी बात को ही साबित करने वाले तथ्य उस अधिकारी को बताता है। कभी–कभी आपसी सम्बन्धों के चलते अपील में दण्ड के लिए भी पूछ लिया जाता है। नियम 32 का भी कभी–कभी दुरुपयोग देखा गया है, विस्तृत उल्लेख विवक्षित नहीं है।

पुलिस बल अपराधों पर नियंत्रण एवं शांति बनाये रखने का उद्देश्य टीम भावना से प्राप्त कर सकता है। हम अपनी टीम के सदस्यों को दुराचरण पर ही दण्डित करें, तथा अनावश्यक रुप से उन्हें आहत नहीं करें। इस सम्बन्ध में जबावदेहीता एवं पारदर्शिता रहनी चाहिए जो प्रजातंत्र के प्रमुख आधार हैं।

– **जगदीश पूनियाँ,** आरपीएस

राजस्थान पुलिस आरक्षी के पाठ्यक्रम की समीक्षा

राजस्थान पुलिस आरक्षी के आधारभूत प्रशिक्षण में अभिनव प्रयोग करते हुए आरक्षी बैच संख्या 58 एवं 59 के लिए प्रशिक्षण में बड़ा परिवर्तन किया गया। आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि एक साथ नहीं रखी जाकर इसे सेमेस्टर तथा फेज में विभाजित किया गया। नये पाठ्यक्रम में आधारभूत प्रशिक्षण में चार के स्थान पर कुल दस प्रश्न पत्र रखे गये, जिसमें प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम सेमेस्टर में प्रश्न पत्र प्रथम से तृतीय, षष्ठम् एवं सप्तम् तथा द्वितीय सेमेस्टर मे अष्ठम् एवं नवम् प्रश्न पत्र पढ़ाने की व्यवस्था की गई। प्रश्न पत्र चतुर्थ पुलिस कार्य प्रणाली तथा प्रश्न पत्र पंचम एवं दशम् कम्प्यूटर को जिलों में फेज प्रथम एवं फेज द्वितीय में पढ़ाने की व्यवस्था की गई। प्रथम सेमेस्टर साढ़े चार महीने का तथा इसी प्रकार् प्रथम फेज जिलों में भी साढ़े चार महीने का रखा गया। द्वितीय सेमेस्टर की अवधि साढ़े तीन महीने रखी गई तथा जिलों में प्रशिक्षण के लिए फेज द्वितीय की अवधि भी साढ़े तीन महीने की रखी गई। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस प्रशिक्षण में गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा तथा कुछ व्यवहारिक कठिनाईयां भी रही। विभिन्न स्तरों से मिले फीड बैक के कारण पुलिस आरक्षी के पाठ्यक्रम पर पुनः समीक्षा की जा रही है। प्रशिक्षुओं तथा अकादमी के प्रशिक्षकों के विचार जानने के पश्चात् प्रशिक्षण को पुनः एक ही अवधि में पूर्ण करवाये जाने पर सहमति बन चुकी है। दस प्रश्न पत्रों के स्थान पर अब छः प्रश्न पत्र रखे जाने पर विचार किया जा रहा है। कम्प्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण जिला/यूनिट स्तर पर करवाया जाना प्रस्तावित है। बैच 58 से पूर्व आरक्षी का दस महीने का आधारभूत प्रशिक्षण हुआ करता था। प्रशिक्षण को सेमेस्टर तथा फेज में विभाजित करने के पश्चात् इसकी अवधि और अधिक बढ़ गई। अब पुनः प्रशिक्षण को एक ही अवधि में निरन्तर प्रशिक्षण संस्थानों में नो महीने की अवधि में पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

इन्टेलीजेन्स अकादमी की स्थापना

राजस्थान में इन्टेलीजेन्स अकादमी की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। राजस्थान सरकार ने बजट सत्र में इन्टेलीजेन्स अकादमी की स्थापना की घोषणा की है। प्रस्ताव के अनुसार यह अकादमी राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में ही बनेगी। वर्तमान में सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कूल का प्रशासनिक भवन तथा कौटिल्य सदन इन्टेलीजेन्स अकादमी की स्थापना के पश्चात् राजस्थान पुलिस अकादमी को प्राप्त होगा। इस निमित राज्य सरकार जल्दी ही पदों की स्वीकृति तथा बजट आवंटन के आदेश जारी करने वाली है। इन्टेलीजेन्स अकादमी की स्थापना राजस्थान के लिए अतिशय जरुरी थी। प्रदेश की सीमाऐं पड़ौसी देश से मिलती हैं तथा प्रदेश में अनेक तरह की अवांछित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत किये जाने की आवश्यकता है। इन्टेलीजेन्स अकादमी की स्थापना के पश्चात् आसूचना अधिकारियों के लिए बेहत्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था सम्भव होगी।

परिवहन विभाग के उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण

परिवहन विभाग राजस्थान में सीधी भर्ती 2009 में चयनित उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण राजस्थान पुलिस अकादमी में करवाया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आउटडोर एवं इण्डोर के विषयों की जानकारी प्रदान की जायेगी। बैच में परिवहन विभाग के 66 उप निरीक्षकों, जिनमें 14 महिला तथा 42 पुरुष परिवहन उप निरीक्षक शामिल हैं, को अकादमी में 90 दिन का प्रशिक्षण दिनांक 28.05.2012 से शुरू किया जा चुका है। परिवहन विभाग ने राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित नये मोटर वाहन उप निरीक्षकों को राजस्थान पुलिस अकादमी में विभागीय दायित्व सौंपने से पहले प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया था। परिवहन उप निरीक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रेस, बैल्ट, सेल्यूट आदि का व्यावहारिक प्रशिक्षण, मोटर यान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाना एवं उल्लंघन पाये जाने पर चैकिंग प्रतिवेदन तैयार किये जाने की प्रक्रिया एवं न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जानकारियों एवं विभागीय उत्तरदायित्व निर्वहन, प्रवर्तन कार्य में उपयोगी विभिन्न प्रकार के उपकरणों यथा ब्रेथ ऐनालाईजर, स्मोक मीटर, इन्टरसेप्टर, पे–ब्रिज का उपयोग, यातायात चिन्ह / संकेत, रोड़ रेग्यूलेशन, हेलमेट व सीट बैल्ट के प्रावधानों की जानकारी एवं उपयोगिता, यातायात से सम्बन्धित पुलिस एक्ट के विभिन्न प्रावधान, प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य जिनमें वाहनों में ओवरलोडिंग, यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग, निजी वाहनों में यात्रियों का परिवहन मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक दस्तावेज यथा अवहेलना, लाईसेंस सम्बन्धी विभिन्न अपराध इत्यादि से सम्बन्धित कानून सम्मत कार्यवाही किया जाना सम्मिलित है, कम्प्यूटर सम्बन्धी सामान्य ज्ञान के साथ–साथ विभाग में चल रहे वाहन व सारथी सॉफ्टवेयर में कार्य करने की जानकारी, मोटर यान अधिनियम 1988 केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989, राजस्थान मोटर यान नियम 1990, द राजस्थान रेग्यूलेशन ऑफ बोटिंग एक्ट 1956, द राजस्थान रेग्यूलेशन ऑफ बोटिंग रुल्स 1957, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम 1951 एवं राजस्थान मोटर कराधान नियम 1951 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी, राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम 1953 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी, राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम 1971, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011, मोटर ड्राईविंग एवं ट्रेनिंग स्कूल व फिटनेस सेन्टर के बाबत व्यवहारिक प्रशिक्षण, एटीकेट्स, मैनेरिज्म, नैतिक मूल्यों / आचरण पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु श्री सुरेन्द्र पंचोली उप निरीक्षक को सहायक कोर्स कार्डिनेटर नियुक्त किया गया जिसने उक्त कोर्स के सफल संचालन हेतु परिवहन विभाग के अधिकारियों से मिलकर प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करवायी। आउटडोर प्रशिक्षण के लिए अकादमी के श्री ज्ञानसिंह कम्पनी कमाण्डर को कोर्स प्रभारी एवं श्री शिवराज सिंह एवं रणधीर सिंह हैड कानिस्टबेल को प्रशिक्षक नियुक्त कर आउटडोर सम्बन्धी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को इण्डोर कक्षाओं में ट्रांसपोर्ट विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिये गये। प्रशिक्षण हेतु राजस्थान पुलिस अकादमी को हॉस्टल के खर्चे, ऑनरेरियम इण्डोर एवं आउटडोर फैकल्टी, अध्ययन सामग्री, ट्रेनिंग किट तथा अन्य कार्यों के लिए 8,73,400 रुपये का राशि परिवहन विभाग द्वारा दी गई।

विदाई

श्री दुर्गालाल सफाई कर्मी अकादमी से सेवानिवृत्त हुए है। अकादमी में रहते हुए श्री दुर्गालाल की सेवायें हमेषा ही सराहनीय रही है। मनुसदन के नये मैस का उद्घाटन आपके हाथों करवाया गया। आपके मैस उद्घाटन की तस्वीर हमेषा आपकी याद दिलाती रहेगी। अकादमी परिवार आपके सुखमय सेवानिवृत्त जीवन की कामना करता है।

If you want peace,
work for justice.

Editorial Board

Editor in Chief
Bhupendra Singh, IPS, Director

Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Dr. B.L. Meena, IPS, Deputy Director
Deepak Bhargava (AD), Dr. Rameshwar Singh (AD),
Alok Srivastav (AD), Gyan Chandra (AD), Kamal Shekhawat (AD)

Photographs By Sagar

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph.: +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : policeresearchrpa@yahoo.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Printed at : Shiva Offset, Jaipur # 0141-2365721